

कानपुर ज़ोन के अन्तर्गत नवविकसित/निरस्तीकरण से रिक्त आवासीय / अनावासीय सम्पत्तियों का

आवंटन/नीलामी

आवंटन/
नीलामी तिथि
02-03-2019

समय
प्रातः 11:00
बजे



—: आवंटन / नीलामी स्थल :-
कार्यालय संयुक्त आवास आयुक्त (कानपुर ज़ोन)
आफिस काम्पलेक्स (भूतल) केशवपुरम



(सेवोत्तम प्रमाणित)

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website: <http://www.upavp.in>; E-mail : upavp@Sancharnet.in



**अम्बेडकरपुरम योजना संख्या-3, सेक्टर-ई (पार्ट) कानपुर में
गंगा इन्वलेव अपार्टमेन्ट के स्व. वित्त पोषित फ्लैट्स (241 नग)**

फ्लैट्स का प्रकार	क्षेत्रफल (व.मी. में) (सुपर एरिया)	स्व. वित्त पोषित फ्लैट संख्या	प्रस्तावित अनुमानित विक्रय मूल्य (रु. लाख में)	अनुमानित पंजी. धनराशि (रु. लाख में)
(3 BHK TYPE-I) BLOCK-1				
पहला तल (03 नग) दूसरा तल (03 नग) तीसरा तल (03 नग) चौथा तल (01 नग) पांचवा तल (03 नग) छठा तल (04 नग) सातवां तल (04 नग) आठवां तल (04 नग) नौवां तल (04 नग) दशवां तल (04 नग) ग्यारहवां तल (04 नग)	131.49	B1-101, 103, 104 B1-201, 203, 204 B1-301, 303, 304 B1-404 B1-501, 503, 504, B1-601, 603, 604, 606 B1-701, 703, 704, 706 B1-801, 803, 804, 806 B1-901, 903, 904, 906 B1-1001, 1003, 1004, 1006 B1-1101, 1103, 1104, 1106	56.42	2.83
(3 BHK TYPE-II) BLOCK-1				
तीसरा तल (01 नग) चौथा तल (01 नग) पाँचवां तल (01 नग) छठा तल (01 नग) सातवां तल (02 नग) आठवां तल (02 नग) नौवां तल (02 नग) दशवां तल (02 नग) ग्यारहवां तल (01 नग)	132.15	B1-302 B1-402 B1-505 B1-602 B1-702, 705 B1-802, 805 B1-902, 905 B1-1002, 1005 B1-1102	56.71	2.84
(2 BHK TYPE-I) BLOCK-2				
पहला तल (04 नग) तीसरा तल (04 नग) चौथा तल (04 नग) पांचवा तल (04 नग) छठा तल (04 नग) सातवां तल (04 नग) आठवां तल (04 नग) नौवां तल (04 नग) दशवां तल (04 नग) ग्यारहवां तल (04 नग) बारहवां तल (04 नग) तेरहवां तल (04 नग) चौदहवां तल (04 नग) पन्द्रहवां तल (04 नग)	99.73	B2-102, B1-103, 106, 107 B2-302, B1-303, 306, 307 B2-402, B1-403, 406, 407 B2-502, B1-503, 506, 507 B2-601, B1-603, 606, 607 B2-702, B1-703, 706, 707 B2-802, B1-803, 806, 807 B2-902, B1-903, 906, 907 B2-1002, B1-1003, 1006, 1007 B2-1102, B1-1103, 1106, 1107 B2-1202, B1-1203, 1206, 1207 B2-1302, B1-1303, 1306, 1307 B2-1402, B1-1403, 1406, 1407 B2-1502, B1-1503, 1506, 1507	42.79	2.14
(2 BHK+STUDY TYPE-II) BLOCK-2				
पहला तल (01 नग) दूसरा तल (04 नग) तीसरा तल (04 नग) चौथा तल (04 नग) पांचवा तल (03 नग) छठा तल (04 नग) सातवां तल (04 नग) आठवां तल (04 नग) नौवां तल (04 नग) दशवां तल (04 नग) ग्यारहवां तल (04 नग)	120.63	B2-108 B2-201, 204, 205, 208 B2-301, 304, 305, 308 B2-401, 404, 405, 408 B2-504, 505, 508 B2-601, 604, 605, 608 B2-701, 704, 705, 708 B2-801, 804, 805, 808 B2-901, 904, 905, 908 B2-1001, 1004, 1005, 1008 B2-1101, 1104, 1105, 1108	51.76	2.59
(2 BHK TYPE-I) BLOCK-3				
पहला तल (04 नग) दूसरा तल (04 नग) तीसरा तल (04 नग) चौथा तल (01 नग) पांचवा तल (04 नग) छठा तल (04 नग) सातवां तल (04 नग) आठवां तल (04 नग) नौवां तल (04 नग) दशवां तल (04 नग) ग्यारहवां तल (04 नग) बारहवां तल (03 नग) तेरहवां तल (04 नग) चौदहवां तल (04 नग) पन्द्रहवां तल (04 नग)	99.73	B3-102, 103, 106, 107 B3-202, 203, 206, 207 B3-302, 303, 306, 307 B3-402 B3-502, 503, 506, 507 B3-602, 603, 606, 607 B3-702, 703, 706, 707 B3-802, 803, 806, 807 B3-902, 903, 906, 907 B3-1002, 1003, 1006, 1007 B3-1102, 1103, 1106, 1107 B3-1202, 1203, 1207 B3-1302, 1303, 1306, 1307 B3-1402, 1403, 1406, 1407 B3-1502, 1503, 1506, 1507	42.79	2.14
(2 BHK+STUDY TYPE-II) BLOCK-3				
पहला तल (03 नग) दूसरा तल (03 नग) तीसरा तल (03 नग) चौथा तल (02 नग) पांचवा तल (04 नग) छठा तल (04 नग) सातवां तल (04 नग) आठवां तल (04 नग) नौवां तल (04 नग) दशवां तल (04 नग) ग्यारहवां तल (04 नग)	120.63	B3-101, 104, 108 B3-201, 204, 208 B3-301, 304, 308 B3-401, 408 B3-501, 504, 505, 508 B3-601, 604, 605, 608 B3-701, 704, 705, 708 B3-801, 804, 805, 808 B3-901, 904, 905, 908 B3-1001, 1004, 1005, 1008 B3-1101, 1104, 1105, 1108	51.76	2.59

नोट:- 1. उपरोक्त सम्पत्तियाँ निर्विवाद आवंटन हेतु प्रस्तुत की जा रही हैं। 2. अम्बेडकरपुरम योजना संख्या-3, सेक्टर-ई (पार्ट) कानपुर में गंगा इन्वलेव के स्व वित्त पोषित फ्लैट्स के पंजीकरण व आवंटन हेतु सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय योजना संख्या- 1/3 कल्यानपुर कानपुर में रु. 500.00 का भुगतान कर पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त कर एवं पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट सहित आवेदन-पत्र आवंटन तिथि से 02 दिन पूर्व कार्यालय में जमा करना होगा। 3. गंगा इन्वलेव 241 नग का उल्लिखित मूल्य अनुमानित है। 4. प्रथम, द्वितीय तल के फ्लैट के आवेदकों को लोकेशन चार्ज के रूप में विक्रय मूल्य का क्रमशः 5, 3, 2 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देय होगा। 5. पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित समस्त नियम/शर्तें आवेदक को मान्य होंगी।

आवासीय सम्पत्तियों का विवरण (नीलामी द्वारा)

सम्पत्ति प्रकार व संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	आरक्षित दर/अनुमानित मूल्य फ्रीहोल्ड सहित (रु. लाख में)	पात्रता
अम्बेडकरपुरम् योजना संख्या-1, (फेज-1) कानपुर			
उच्च आय वर्ग 85/162 प्रकार का भवन (01 नग)			
9/34/1©	244.77	85.75	अपंजीकृत आवेदक
आवासीय भूखण्ड 171.00 वर्ग मीटर से अधिक (01 नग)			
4470/1	276.61	23520.00 प्र.व.मी.	अपंजीकृत आवेदक
हंसपुरम् योजना संख्या-2, कानपुर			
उच्च आय वर्ग 128/200 प्रकार का भवन (13 नग)			
6B-21A©	284.70	93.24	अपंजीकृत आवेदक
6B-23A	202.40	72.15	अपंजीकृत आवेदक
6B-24	200.00	71.69	अपंजीकृत आवेदक
6B-41	200.00	71.69	अपंजीकृत आवेदक
6B-42	200.00	71.69	अपंजीकृत आवेदक
6B-43	231.90	77.77	अपंजीकृत आवेदक
6B-147	200.00	71.69	अपंजीकृत आवेदक
6B-188©	232.44	82.33	अपंजीकृत आवेदक
6B-189©	285.00	90.04	अपंजीकृत आवेदक
6B-190	200.00	68.42	अपंजीकृत आवेदक
6B-192	202.30	68.80	अपंजीकृत आवेदक
6B-193	202.30	68.80	अपंजीकृत आवेदक
6B-205	200.00	71.69	अपंजीकृत आवेदक

व्यवसायिक सम्पत्तियों का विवरण (नीलामी द्वारा)

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	आरक्षित दर/ अनु.मूल्य फ्रीहोल्ड सहित (रु. लाख में)	एफ. ए. आर.	ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	अधिकतम ऊँचाई (मी. में)
केशवपुरम् योजना संख्या-1, कानपुर					
हेल्थ सेन्टर भूखण्ड (01 नग)					
H/CP-2	135.00	61600.00	-	-	-
लोहियापुरम् योजना फतेहगढ़ (फत्तुखाबाद)					
व्यवसायिक भूखण्ड (02 नग)					
3/C-81	200.00	31360.00	1.20	40%	9.60
3/C-84	200.00	31360.00	1.20	40%	9.60

आवासीय फ्लैट्स आवंटन द्वारा
अम्बेडकरपुरम योजना संख्या-3, सेक्टर-ई (पार्ट) कानपुर में
ब्रह्मवर्त अपार्टमेंट (जी+3) एफ-62 प्रकार के
अनारक्षित श्रेणी के अवशेष फ्लैट्स (44 नग)

फ्लैट्स का प्रकार व श्रेणी	(सुपर एरिया) (वर्ग फिट)	फ्लैटों की संख्या	विक्रय मूल्य (रु. लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)	भुगतान का विवरण
Type F-82 (2 BHK)					
भू-तल (03 नग) मध्यम आय वर्ग	885.00	T-5/102, T-7/101, T-8/102	56.10	2.83	आवंटन-पत्र/मांग पत्र निर्गत होने के 30 दिन के अन्दर फ्लैट का कुल मूल्य का 5 प्रतिशत एकमुश्त नकद तथा शेष मूल्य की 10 वर्ष की मासिक किश्त 11.50 प्रतिशत ब्याज सहित देनी होगी।
प्रथम तल (08 नग) मध्यम आय वर्ग	885.00	T-1/201, T-2/202, T-4/201, T-5/202, T-6/201, T-6/204, T-7/201, T-7/202	50.10	2.51	
द्वितीय तल (12 नग) मध्यम आय वर्ग	885.00	T-1/302, T-1/303, T-1/304, T-3/301, T-3/302, T-3/303, T-4/301, T-6/302, T-7/303, T-7/304, T-8/302, T-8/304	49.40	2.47	
तृतीय तल (21 नग) मध्यम आय वर्ग	885.00	T-1/401, T-1/402, T-1/403, T-1/404, T-2/402, T-3/401, T-3/402, T-4/401, T-4/404, T-5/402, T-5/403, T-6/401, T-6/402, T-6/403, T-7/404, T-8/401, T-8/402	48.74	2.44	

नोट:- अम्बेडकरपुरम योजना संख्या-3, के सेक्टर-ई (पार्ट) कानपुर में ब्रह्मवर्त अपार्टमेंट (जी+3) एफ-82 प्रकार के सामान्य श्रेणी फ्लैट्स के पंजीकरण व आवंटन हेतु सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय योजना संख्या- 1/3 कल्यानपुर कानपुर में रु. 500.00 का भुगतान कर पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त कर एवं पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट सहित आवेदन-पत्र आवंटन तिथि से 02 दिन पूर्व जमा करना होगा।

नोट:- अम्बेडकरपुरम योजना संख्या-3, कानपुर में खण्ड कार्यालय द्वारा आफर किये गये नवविकसित 07 नग व्यवसायिक भूखण्ड एवं 02 नग आवासीय भूखण्डों का शासनादेश/परिषद नियमानुसार आरक्षण का निर्धारण किया जायेगा।

सामान्य नियम एवं शर्तें

- A. समस्त सम्पत्तियों की नीलामी शासनादेश/परिषद आदेशों एवं नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- B. सम्पत्तियों की विस्तृत जानकारी तथा नीलामी में भाग लेने विषयक सील्ड बिड फार्म का प्रारूप निर्धारित मूल्य रु. 107/जमा कर सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
- C. सम्पत्ति सम्बन्धी विस्तृत जानकारी सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है एवं परिषद की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
- D. आवासीय सम्पत्ति हेतु सम्पत्ति के कुल मूल्य का 05 प्रतिशत एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों में सम्पत्ति के कुल मूल्य का प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो "उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में सम्बन्धित नगर में भुगतान योग्य देय के साथ निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर (आवेदन पत्र दिनांक तक तथा सील्ड बिड नीलामी से एक दिन पूर्व कार्यालय कार्यदिवस में सायं 05.00 बजे तक सम्बन्धित सम्पत्ति कार्यालय में जमा करना होगा। नीलामी तिथि को प्रातः 11.00 बजे तक टोकन निर्गत किये जायेंगे। तदोपरान्त नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
- E. निर्माणाधीन भवनों/फ्लैटों के आवंटन पर नियमानुसार कुल मूल्य पर 12.00 प्रतिशत जी.एस.टी. देय होगा।
- F. सम्पत्तियों की संख्या में कारणोवश कमी होना सम्भाव्य है।
- G. किसी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त (म.) का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
- H. सम्पत्ति आवंटन/नीलामी सम्बन्धी नियम व शर्तों एवं शपथ पत्र की विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.in> से प्राप्त की जा सकती है।

आवास आयुक्त